रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 759] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 17, 2017/फाल्गुन 26, 1938
No. 759] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 17, 2017/PHALGUNA 26, 1938

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 मार्च, 2017

का.आ. 847(अ).—केन्द्रीय सरकार, कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन खाद्य, कृषि, समुदाय विकास और सहकारिता मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 301, तारीख 27 फरवरी, 1971 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :--

उक्त अधिसूचना के मद (xix) में, धारा 4 की उपधारा (3) के खंड (xix) के अधीन "नामनिर्दिष्ट सदस्य" शीर्षक के अधीन उपमद (घ) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित उपमद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"(घ) डॉ. प्रजीव कुमार चक्रवर्ती, सहायक महानिदेशक (वन पनि संरक्षण), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि भवन, नई दिल्ली।	(इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए)"

[फा. सं. 13029/01/2016-पीपी-I]

अश्वनी कुमार, संयुक्त सचिव (वन पनि संरक्षण)

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 301, तारीख 27 फरवरी, 1971 द्वारा प्रकाशित किया गया था और सं. का.आ. 4023(अ), तारीख 9 दिसम्बर, 2016 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया।

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture, Co-operation and Farmers Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th March, 2017

S.O. 847(E).—In exercise of the powers conferred by section 4 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968), the Central Government hereby makes the following amendments further to amend the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation, number G.S.R. 301, dated the 27th February, 1971, namely:-

In the said notification, under heading "Member Nominated", under clause (xix) of sub-section (3) of section 4, in item (xix), for sub-item (d) and the entries relating thereto, the following sub-item and entries shall be substituted, namely:-

"(d) Dr. Pranjib Kumar Chakrabarty, Assistant Director General (Plant Protection), Indian Council of Agricultural Research, Krishi Bhawan, New Delhi.	(for a period of three years from the date of publication of this notification)".

[F. No. 13029/01/2016-PP-I]

ASHWANI KUMAR, Jt. Secy. (Plant Protection)

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 301, dated the 27th February, 1971 and last amended vide number S.O. 4023(E), dated the 9th December, 2016.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 मार्च, 2017

का.आ. 848(अ).—केन्द्रीय सरकार, कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग की अधिसूचना सं. का.आ. 79(अ), तारीख 3 फरवरी, 1997 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :--

उक्त अधिसूचना में क्रम सं. 4 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्र. सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"(4) डॉ. प्रंजीव कुमार चक्रवर्ती, सहायक महानिदेशक (वन पति संरक्षण), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि भवन, नई दिल्ली।	सद स्य"।

[फा. सं. 13029/01/2016-पीपी-I]

अश्वनी कुमार, संयुक्त सचिव (वन पति संरक्षण)

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में मा.का.नि. 79(अ), तारीख 3 फरवरी, 1997 द्वारा प्रकाशित किया गया था और सं. का.आ. 4022(अ), तारीख 9 दिसम्बर, 2016 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया।

IndiaCode

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th March, 2017

S.O. 848(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968), the Central Government hereby makes the following amendments further to amend the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Cooperation, number S.O. 79(E), dated the 3rd February, 1997, namely:-

In the said notification for serial number 4 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

"4. Dr. Pranjib Kumar Chakrabarty, Assistant Director General (Plant Protection), Indian Council of Agricultural Research, Krishi Bhawan, New Delhi.	Member".

[F. No. 13029/01/2016-PP-I]

ASHWANI KUMAR, Jt. Secy. (Plant Protection)

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 79(E), dated the 3rd February, 1997 and last amended vide number S.O. 4022(E), dated the 9th December, 2016.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054